

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में

मुख्य अभियंता, हजारीबाग ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 25-3-2019

विषय :— मॉग संख्या—49—जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष—4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप—मुख्य शीर्ष—80—सामान्य, लघु शीर्ष—789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष—46—सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण, 45—निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49S470180789460545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :— प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या— 80/16-17, दिनांक 20.01.2017

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट—1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	49—जल संसाधन विभाग / 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80—सामान्य	789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष—46—सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	05—निर्माण, 45—निर्माण कार्य, विपत्र कोड :— 49S470180789460545	26.12

आवंटित राशि – ₹ छह्बीस लाख बारह हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2018-19 के बजट उपबंध राशि ₹ 600.00 लाख (छ: करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक—19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख—1

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


अनुलग्नक—यथोक्त्।


 (अरुण कुमार सिंह) 25-3-19
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 227

रॉची, दिनांक :— 25-3-2019

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिन् रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/हजारीबाग/तेनुघाट/बोकारो सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 अनुलग्नक—यथोक्त्।



 (अरुण कुमार सिंह) 25-3-19
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 227


रॉची, दिनांक :— 25-3-2019

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना—सह—वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।



(राजेन्द्र प्रसाद)
 उप सचिव (अभि.)


 (सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
 संयुक्त सचिव


 (हेमन्त कुमार)
 अभियंता प्रमुख-1


 (अरुण कुमार सिंह) 25-3-19
 अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक **227**दिनांक **25-3-2019**

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 1

नांग संस्था-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन।

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45-निर्माण कार्य

विपत्र कोड- 49S470180789460545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध रु. 600.00 लाख (छ: करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र. प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक खीकृति की		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अन्युकृति	
			राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	कुल आवंटित राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	तेनुधाट बँध प्रमंडल, तेनुधाट (BKRIRR002)	हजारीबाग तेनु-बोकारो लिंक नहर तेनुधाट के पुनर्स्थापन कार्य।	177.73	80/16-17 प्र.स्वी. दिनांक-20.01.2017 Online AA-2423/18.03.19	162.79	0.00	26.12	26.12	104836		
आवंटित राशि - ₹ छँडीस लाख बारह हजार मात्र।											

25.3.19(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव(हेमत कुमार)
अभियंता प्रमुख-125.3.19
(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव